

प्रेषक,

सिविल जज (जू०डि०)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट हवाली,
फर्रुखाबाद।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
फर्रुखाबाद।

विषय: भवन/मकान बनवाने हेतु भूखण्ड क्रय करने के सम्बन्ध में सूचना।

महोदय,

महोदय ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा भवन/मकान निर्माण हेतु एक आवासीय भूखण्ड 162 वर्ग मी० शास्त्रीपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डीलर से जिला आगरा में दिनांक 21.01.2021 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामा क्रय किया है, जिसकी कुल कीमत 28,52,000/- (अट्ठाईस लाख बावन हजार) रुपये है। जिसके संबंध में मेरे द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, शाखा फतेहगढ़ से भूखण्ड खरीदने और भवन/मकान निर्माण करने हेतु कुल 40,54,000/- (चालीस लाख चौवन हजार) रुपये का लोन लिया गया है। उक्त धनराशि में से बैंक द्वारा 22,80,000/- (बाईस लाख अस्सी हजार) रुपये भूखण्ड क्रय करने हेतु प्रदान किये जा चुके हैं। जोकि बैंक द्वारा जरिये RTGS UTR No. SBINR52021012007321899 विक्रेता के खाते में सीधे भुगतान किये गये तथा शेष धनराशि भवन निर्माण के समय किस्तों में प्रार्थिनी को प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त भूखण्ड क्रय करने में 5,72,000/- (पांच लाख बहत्तर हजार) रुपये मेरे द्वारा अपने खाते से बैंक द्वारा [एडवांस प्रथम बैंक सं० 299339 से 1,00,000/- (एक लाख रु०) व द्वितीय बैंक सं० 299344 से 4,72,000/- (चार लाख बहत्तर हजार रु०)] भुगतान किये गये हैं।


यह भी अवगत कराना है कि मेरे द्वारा इस भूखण्ड के पूर्व कोई भूखण्ड/अचल संपत्ति क्रय नहीं की गयी है। यह मेरे द्वारा क्रय किया गया प्रथम भूखण्ड/अचल संपत्ति है। लोन सैंक्शन से संबंधित सभी दस्तावेज तथा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र की प्रति व बैंक अकाउंट डिटेल् आदि संलग्न की जा रही हैं।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अवलोकनार्थ रखने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: 03.03.2021

भवदीया,


सिविल जज (जू०डि०)
न्यायिक मजिस्ट्रेट हवाली,
फर्रुखाबाद।

संलग्नक:

1. भूखण्ड रजिस्टर्ड की छायाप्रति
2. अरेन्जमेंट पत्र की छायाप्रति/बैंक से लोन सैंक्शन दस्तावेज की प्रति
3. RTGS रशीद
4. बैंक अकाउंट डिटेल्

आवासीय जनपद न्यायाधीश
क्रमांक-664/89 दिनांक- 03.03.2021
वसुदेव
जनपद न्यायाधीश
फर्रुखाबाद
03.03.2021